न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 51 / 2019

गिरधारी लाल पुत्र चतरा राम जाति नायक निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. चुन्नीलाल पुत्र राजूराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. बाबूराम पुत्र राजूराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. मोहनलाल पुत्र राजूराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. सोहन लाल पुत्र राजूराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. चेतन राम पुत्र देवाराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
6. सरवन राम पुत्र हरीराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
7. मदनलाल पुत्र हरीराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
8. औमप्रकाश पुत्र हरीराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
9. गिरधारी पुत्र हरीराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
10. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :

1 श्री कुन्दनलाल चुग अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2 श्री कृपाल सिह अधिवक्ता — अप्रार्थीगण

निर्णय   **दिनांक :** 06.11.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक न0 3 बी जी एस तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 06 / 07 की मु0न0 16 किला न0 1 ता 3, 8 ता 10, 14 की 1.504 हैक्टर रकबा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के नाम से चक न0 3 बी जी एस तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 77 / 75 की मु0न0 15 किला न0 11, 12, 20 की 0.759 हैक्टर मु0न0 16 किला न0 4 ता 7, 15 ता 17, 25 की 1.846 हैक्टर कुल 2.605 हैक्टर रकबा है। जमाबन्दी की प्रति संलग्न प्रार्थना–पत्र है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता राजुराम अप्रार्थी संख्या 5 के पिता देवाराम व अप्रार्थी संख्या 6 ता 9 के पिता हरीराम की मृत्यु हो चुकी है। देवाराम, राजूराम, हरीराम की मृत्यु उपरान्त उनके

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

[illegible] को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी के नाम की चक न0 3 बी जी एस के मु0न0 16 किला न0 1 ता 3, 8 ता 10, 14 की 1.504 हैक्टर रकबा में आने-जाने के लिए रास्ता चक न0 3 बी जी एस के मु0न0 16 के मंजूरशुदा रास्ता के किला न0 25 व 16 में एक-एक बिस्वा किला न0 15 में 8 1/4 फीट है। प्रार्थी उक्त रास्ते से अपने रकबा में आता-जाता है। फसल काश्त करता है। प्रार्थी के रकबे में आने-जाने के लिये सरकारी रास्ता से चक न0 चक न0 3 बी जी एस के मु0न0 16 के किला न0 25 मे पश्चिमी दिशा मे दक्षिण से उत्तर की ओर किला न0 16 में पश्चिमी दिशा मे दक्षिण से उत्तर की ओर मे 1-1 बिस्वा मे व किला न0 15 मे 8 1/4 फुट दक्षिण पश्चिम का कोना मे से है। प्रार्थी इसी रास्ता से अपने रकबे में गत 40 वर्षो से आता-जाता है और इसी रास्ता से अपने खेत में ट्रेक्टर, ट्राली, बैलगाडी व कृषि उपकरण लेकर आता-जाता है।प्रार्थी चक न0 3 बी जी एस के मु0न0 16 के किला न0 25 मे पश्चिमी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर किला न0 16 में पश्चिमी दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर 1-1 बिस्वा मे व किला न0 15 में 8 1/4 फुट दक्षिण पश्चिम का कोना मे से अपने रकबा मे आता-जाता है किला न0 15, 16, 25 पर बाबूराम, चुन्नीलाल, मोहनलाल, सोहनलाल की कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने उक्त रास्ता मे कभी रूकावट नही की। अब अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 प्रार्थी के उक्त रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे है। रास्ते में खड्डे खोद देता है जिससे प्रार्थी को अपने रकबे मे आने-जाने मे परेशानी होती है। जबकि प्रार्थी उक्त रास्ता को हमेशा से उपयोग व उपभोग मे ले रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता मंजूर शुदा नहीं है। वगैरा-वगैरा।

अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर चक न0 3 बी जी एस के मु0न0 16 के किला न0 25 में पश्चिमी दिशा मे दक्षिण से उत्तर की ओर किला न0 16 मे पश्चिमी दिशा मे दक्षिण से उत्तर की ओर 1-1 बिस्वा मे व किला न0 15 मे 8 1/4 फुट दक्षिण-पश्चिम कार्नर का चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। प्रार्थी उक्त रास्ता मे आने वाली भूमि की डीएलसी रेट व भूमि जो भी अप्रार्थी संख्या 1 लेना चाहे देने के लिए तैयार है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील उपस्थित होकर प्रार्थी के साथ प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुये राजीनामा पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हुयी।
बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील अप्रार्थीगण ने अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण द्वारा चाहा गये रास्ता के अलावा प्रार्थी को अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है इस सम्बध मे स्टेट रिपोर्ट मे अंकित किया गया है कि प्रार्थी के पारा चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है एव प्रार्थी द्वारा चाहे गये रारता के सम्बध मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो गया है एव मुताबिक राजीनामा रास्ता मे प्रयुक्त होने वाली आराजी के बदले प्रार्थी स्वय की खातेदारी की आराजी में से अप्रार्थीगण को आराजी देना चाहता है इस प्रकार प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को मुताबिक राजीनामा बखुबी साबित किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा एव तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट के अनूसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपखण्ड अधिकारी (राज

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है चक न0 3 बी जी एस के मु0न0 16 के किला न0 25 में पश्चिमी दिशा मे दक्षिण से उतर की ओर किला न0 16 में पश्चिमी दिशा मे दक्षिण से उतर की ओर प्रत्येक किला में 1–1 बिस्वा व किला न0 15 में 8¼ फुट दक्षिण–पश्चिम कार्नर का चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे रास्ता का अंकन किया जावें। एव प्रार्थी के नाम दर्ज चक 3 बी जी एस के मु.न. 16 के कि.न. 14 में से 0.025 हे. आराजी से प्रार्थी का नाम तर्क किया जाकर उक्त 0.025 हे. आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 के नाम 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 6 ता 9 के नाम से दर्ज कागजात की जावे। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

6/11/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.22 17:42:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: